announced by the Government on December 7, 1996 and January 18, 1997 to facilitate polio drops to be given to children upto five years of age;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether such holidays have been allowed to employees working in shops and private offices in the country; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor, with the course of action to be taken when denial of such holidays to shop employees is reported?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) and (b) No Sir. The Central Government has not declared public holidays under the Negotiable Instruments Act.

(c) and (d) Closing of shops and private factories is regulated under the Statutory Acts notified by the respective State Governments/ Union Territories.

Enquiry Clerks Appointed by CPWD on Muster Roll

2859. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of enquiry clerks appointed on muster roll by CPWD during 1982-83 in sub-division No. III at M.B. Road and Aram Bagh;

(b) whether it is a fact that even after putting in over 15 years of service, their services have not been regularised, so far;

(c) if so, what are the reasons therefor; and

(d) by when Government propose to regularise their services?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) In all, 3 Enquiry Clerks were appointed on Muster roll in Sub-Division No. III at M.B. Road and Aram Bagh by CPWD during 1982-83.

(b) to (d): A large number of posts for regularisation of services of eligible daily rated workers who were engaged prior to imposition of ban on the engagement of daily rated workers w.e.f. 19.11.1985, were created in 1992 in pursuance of the Supreme Court judgement dated 17.1.86 on a Writ Petition filed by Shri Surinder Singh & others, on the basis of requirement of posts projected by various field units of CPWD spread all over India. None of field units, however reported the fact of having daily rated enquiry Clerks and did not project any requirement for additional posts for their regularisation. However, since the workers were engaged prior to imposition of the ban the CPWD is collecting details of all such workers.

दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या

2860. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1951 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या कितनी थी;

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या कितनी और इस समय इसकी अनुमानत: जनसंख्या कितनी है;

(ग) दिल्ली में अनुमानत: कितने व्यक्ति प्रतिवर्ष देश के अन्य भागों से आकर बसते हैं;

(घ) क्या दिल्ली का क्षेत्र इतनी अधिक जनसंख्या का भार सहन कर सकता है; और

(ङ) दिल्ली की जनसंख्या को सीमित रखने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ यू॰ वेंकटस्वरलू): (क) 1951 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की आबादी 17,44,072 थी।

(ख) और (ग) 1991 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की आबादी 194,20,644 तथा योजना आयोग के जनसंख्या प्रायोजन तकनीकी दल के आकलन के अनुसार दिल्ली की आबादी 1 मार्च, 1996 और 1 जुलाई, 1996 को क्रमश: 113.20 लाख और 114.30 लाख ठहरती है। लेकिन दिल्ली में हर साल बाहर से बसने के लिए आने वाले लोगों की संख्या के बारे में कोई सूचना सुलभ नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई हिसाब नहीं रखा जाता।

(घ) और (ङ.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की सहमति से, संसद द्वारा पारित एन० सी० आर० प्लानिग बोर्ड एक्ट 1985 के अन्तर्गत किया गया था। बोर्ड के गठन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना तथा इसके कार्यान्वन के लिए तालमेल तथा निगरानी करना।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भू-उपयोग नियंत्रण तथा अवस्थापना विकास के लिए सुसंगत नीति तैयार करना ताकि उसके असंगत विकास पर रोक लगाई जा सके।

1. दिल्ली में अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि और उसमें नागरिक सेवाओं पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को ध्यान में रख कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 1989 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय योजना 2001 बनाई। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

20 लाख आबादी को अन्यत्र बसा कर दिल्ली पर जनसंख्या दबाव कम करना तथा

दिल्ली परिक्षेत्र, हरियाण के 6 जिलों, उत्तर के 3 जिलों और राजस्थान के अलवर जिले के कुछ हिस्से को मिलाकर 30,242 वर्ग कि०मी० अन्तर्राज्यीय क्षेत्र का विकास करके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संतुलित और सुसंगत विकास करना।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के तीन नीतिगत अंचल बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

I. सीमित विकास के लिए राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दिल्ली

II. मर्यादित विकास के लिए, दिल्ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र

III. अभिप्रेरित विकास के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का शेष पूरा क्षेत्र

3. 20 लाख की लक्षित आबादी को बाहर बसाने के लिए एन० सी० आर० योजना में दिल्ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के 6 शहरों अर्थात-गजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुडगांव, बहादुरगढ़ तथा कोण्डली और 8 प्राथमिकता कस्बों/परिसरों यथा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर-खुर्जा परिसर, पानीपत रोहतक, पलवल-रेवाड़ी-धारूहेड़ा-भिवाड़ी परिसर और अलवर का निर्धारण किया गया है, ताकि वहां आर्थिक कार्यकलापों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

4. क्षेत्रीय योजना -2001 में आबादी (पुनर्वर्गीकरण) बसाव प्रणाली, क्षेत्रीय भू-उपयोग पद्धतियों, पर्यावरण कारकों, आर्थिक कार्यकलापों और अवस्थापना सुविधाओं संबंधी नीतिगत ढांचे के माध्यम से अपने उद्देश्य पाने का प्रयास होगा।

Exploration work for Dwarka

2861. SHRI JAGIR SINGH DARD:

DR. SHRIKANTRAM CHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether the exploration work related to the Dwarka found in the Ocean bed is over;

(b) if so, what are the findings and their significance thereof; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, by when it would be completed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) The marine archaeological exploration work relating to Dwarka is a continuing activity although some specific projects have been completed.

(b) The explorations have found remains of an ancient harbour including bastions and walls and parts of boats such as anchors and marts besides some metal artefacts.

It is inferred from the findings that the inhabitants had knowledge of boat building, harbour construction and metals.

(c) Does not arise.

आधुनिकीकृत विद्युत संयंत्र

2862. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान किन-किन विद्युत केन्द्रों और विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया है और उनका दर्जा बढ़ाया है; और